SPEED POST

संख्या 476 / V–आ0–2008–59(आ0) / 2008

प्रेषक,

सौरभ जैन,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. अध्यक्ष,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
नैनीताल / देहरादून / गंगोत्री।

2. उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण
हरिद्वार / देहरादून।

3. नियत प्राधिकारी,
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तराखण्ड।

आवास विभाग देहरादून, दिनांक 02 जून, 2008

विषय : आवासीय एवं व्यवसायिक भवन के मानचित्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा– निर्देश के सम्बन्ध में।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि भवन मानचित्रों के स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावलियां विभिन्न स्तर पर प्रस्तुत होने के कारण उनके निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब होने से विभाग की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। अतः मानचित्र स्वीकृति से सम्बन्धित पूर्व की समस्त व्यवस्थाओं को अवक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया भवन मानचित्र से सम्बन्धित पत्रावलियों के त्वरित निस्तारण हेतु भविष्य के लिए सभी सम्बन्धित अधिकारियों / कर्मचारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे शासन द्वारा आवंटित समय सीमा के अन्तर्गत प्रकरण का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

56

प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं विनियमित क्षेत्रों में मानचित्रों के निस्तारण हेतु निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती है:–

AE(M)

1. भवन मानचित्रों के निस्तारण हेतु तत्काल प्रभाव से एकल खिड़की व्यवस्था लागू की जाती है।

2. आवासीय मानचित्रों के निस्तारण हेतु एक दिन तथा व्यवसायिक भवनों के लिए 10 दिन की समय सीमा निर्धारित की जाती है।

10/6/08
Secy

April-2008

CC.

(14)

3 प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं विनियमित क्षेत्र भवन मानचित्रों के निस्तारण हेतु उपलब्ध स्टाफ के अनुसार कार्यालयों में एकल खिड़की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

4. प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं विनियमित क्षेत्र में कार्यरत सहायक अभियन्ता/ अवर अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत जमा होने वाली भवन मानचित्र पत्रावलियों हेतु निर्धारित समयान्तर्गत ही स्वीकृति पत्र जारी किया जायेगा।

5. सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता भवन मानचित्र पत्रावलियों को जमा कराने से पूर्व उनका भली-भांति परीक्षण करेंगे तथा तदोपरान्त पत्रावली को कार्यालय में जमा कराने हेतु अग्रेत्तर कार्यवाही करेंगे, यदि किसी पत्रावली में कोई कमी दृष्टिगोचर होती है तो सम्बन्धित आवेदक को इसमें सुधार करने हेतु पत्रावली वापस कर दी जायेगी तथा आवेदक द्वारा आपत्ति का निराकरण कराने के उपरान्त उसे जमा कराया जायेगा। यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व मानचित्र स्वीकृति हेतु वांछित समस्त अभिलेख कार्यालयों में जमा करा लिये जायें।

6. एकल खिड़की व्यवस्था के अन्तर्गत जमा होने वाली पत्रावलियों में इस बात का एक संयुक्त शपथ पत्र आवेदक एवं मानचित्र बनाने वाले आर्कीटेक्ट/ड्राफ्टमैन से ले लिया जाये कि उनके द्वारा आवेदित/तैयार किया गया मानचित्र महायोजना में निर्धारित भू-उपयोग एवं उक्त क्षेत्र में प्रचलित उपविधियों/उपनियमों के अन्तर्गत ही बनाया गया है और इसमें बाद में कोई विपरीत तथ्य पाया जाता है तो इसके लिए पूर्ण रूप से सम्बन्धित आवेदक एवं मानचित्र तैयार करने वाले आर्कीटेक्ट/ड्राफ्टमैन ही जिम्मेदार होंगे तथा नक्शा निरस्त करने के साथ-साथ सम्बन्धित आवेदक/आर्कीटेक्ट /लाईसेन्सी सुपरवाइजर के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

7. यदि किसी प्रकरण में किसी विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र अपेक्षित हो तो ऐसी स्थिति में स्वीकृति पत्र जारी करने के साथ-साथ सम्बन्धित विभागों को इस आशय से प्रेषित किया जाये कि अन्यथा/अनियमितता की स्थिति में सम्बन्धित विभाग प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं विनियमित क्षेत्र अविलम्ब सूचित करेंगे।

8. जिन प्रकरणों में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग स्तर से परीक्षण कराकर अनापत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही की जाती है, में प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों द्वारा मुख्यालय नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से तथा विनियिमित क्षेत्रों द्वारा मण्डल स्तरीय नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कार्यालयों से अनापत्ति प्राप्त की जायेगी। नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के मुख्यालय एवं मण्डल स्तरीय कार्यालयों द्वारा भी उपरोक्त लागू व्यवस्था के अनुसार ही मानचित्रों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(12)

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के मण्डलीय कार्यालयों द्वारा मानचित्रों का परीक्षण करते हुए निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत अनापत्ति दी जायेगी। यदि किसी पत्रावली में कोई कमी दृष्टिगोचर होती है तो सम्बन्धित सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता से उक्त अभिलेख प्राप्त किये जायेंगे। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब न हो।

10. यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि मानचित्रों का निस्तारण यथा सम्भव क्षेत्रीय स्तर पर ही निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत हो।

11. उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत निस्तारित की जाने वाले मानचित्रों पत्रावलियों के बारे में प्रत्येक दिन प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र के सक्षम अधिकारियों द्वारा इसका परीक्षण किया जायेगा तथा अनावश्यक रूप से किसी अधिकारी/कर्मचारी के पास अनिस्तारित पायी जाये, के खिलाफ कठोर अनुशासनिक कार्यवाही की जाये।

12. प्रकरणों का निस्तारण सम्बन्धित अभिकरणों द्वारा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा। प्रकरणों के अनावश्यक विलम्ब के सम्बन्ध में शासन के समक्ष कोई तथ्य लाया गया तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

13. प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र द्वारा मानचित्र स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरणों की साप्ताहिक रिपोर्ट प्रत्येक दशा में शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

14. पूर्व से लम्बित पड़े मानचित्र स्वीकृति से सम्बन्धित प्रकरणों का भी उपर्युक्तानुसार निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही निरतारण किया जायेगा।

भवदीय,

31/5/08

(सौरभ जैन)
अपर सचिव।

संख्या– /V/आ0–2008–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सहयुक्त नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, कुमायूँ मण्डल/गढ़वाल मण्डल सम्भागीय नियोजन खण्ड, हल्द्वानी/देहरादून।
3. निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
4. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(गरिमा रौंकली)
उप सचिव।